take its own decision. In regard to raising of retirement age of Central Government employees there is no need to consult the State Governments. In regard to the All India Services, however, the State Governments were consulted and their views were taken into consideration.

प्रशासनिक सुधारों के लिये प्रस्ताव

221. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन शिकायतों के निवारण और त्वरित और समयबद्ध कार्य निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिये प्रशासनिक सुधार करने की सरकार की मंशा है; और

(ख) क्या सरकार के पास प्रशासन की "परिणामोन्मुख" उत्तरदेयता को सुनिश्चित करने और प्रशासनिक स्थापना व्यय कम करने के लिये कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन एक विकेन्द्रीकृत आंतरिक लोक-शिकायत-निवारण-तंत्र स्थापित किया गया है। प्रशासनिक सुधार तथा लोक-शिकायत विभाग एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है तथा इस शिकायत-निवारण-तंत्र के कार्यकरण की आवधिक रूप से समीक्षा करता है।

प्रभावी, उत्तरदायी और संवेदनशील प्रशासन तथा नागरिकों के प्रति अनुकूल और सहानुभूतिपरक सरकार सुनिश्चित करने के बारे में सरकार के निर्णय के एक हिस्से के रूप में, उपर्युक्त विभाग ने:

(i) महत्वपूर्ण सरकारी-भवनों में सूचना-सुविधा काउंटर स्थापित किए हैं;

(ii) लोगों को सेवाएं प्रदान करने में लगी एजेंसियों में जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयोजन से लोक-सेवाओं के प्रति नागरिकों की अनिवार्य हक़दारी समाविष्ट करते हुए, नागरिक-चार्टर बनाने के क्रम में विशेष पहल की है;

(iii) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से शिकायतों की पावती भेजने एवं उन्हें अंतिम रूप से निबटाने हेतु समय-सीमा निर्धारित करने के लिए कहा गया;

(iv) मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को इस आशय के दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई शिकायत-याचिका नामंजूर कर दी जाए तो ऐसी नामंजूरी के कारण सूचित किए जाने चाहिए।

संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित किए जाने के क्रम में लागू किए गए बीस-सूत्री कार्यक्रम, 1986 के बीसवें सूत्र के रूप में और एक मूल तत्व-स्वरूप, प्रशासन में जवाबदेही लागू की है।

केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के कार्यालयों में लागू कार्यालय-पद्धति के मेनुअल की प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में जब कभी निर्णय लिया जाता है, तो उपर्युक्त विभाग द्वारा उन्हें सरलीकृत किए जाने के कदम उठाकर शीघ्र निबटारा सुनिश्चित करने के सतत प्रयास किए जाते हैं। उपर्युक्त विभाग ने प्रशासनिक व्यय कम करने के बहुत से उपाय शुरू किए हैं, जैसे कि सभी मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों में 10 प्रतिशत कर्मचारियों की कटौती, नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध, टेलीफोनों/मोबाइल फोनों/पेजरों के उपयोग पर प्रतिबंध, नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, समयोपरि भत्ते, पेट्रोल, विभिन्न बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों के दौरान अतिथि-सत्कार, मंत्रियों के कार्यालय तथा उनके आवास के कार्यालय-संबंधी भाग की साज-सज्जा संबंधी व्यय पर प्रतिबंध। सामान्य वित्तीय नियम, 1963 में भी ये अनुदेश निहित हैं कि प्रशासनिक प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ सार्वजनिक प्रयोजनों से, धन खर्च करते समय किफायत बरते जाने की आवश्यकता ध्यान में रखें।

Injustice done to Pensioners

222. SHRI PARAG CHALIHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the injustice done to pensioners who retired prior to 1.1.86 and 1.1.96 as a result of implementation of recommendations of the Fifth Central Pay Commission;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps teken/contemplated to extend justice to them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING REVENUE AND INSURANCE) SHRI R. JANARTHANAM): (a) to (c) The Vth Central Pay Commission had recommended that the pension of all the pre-1986 retirees may be updated by national fixation of their pay as on 1.1.1986 by adopting the same formula as for the serving employees and thereafter they may be treated alike to those who have retired on or after 1.1.1986 for the purpose of consolidation of their pension as on 1.1.1996 by allowing the same Fitment Weightage as may be allowed to the serving employees. However, the consolidated pension shall not be less than 50% of the minimum pay of the post as revised by Vth Central Pay Commission held by the pensioner at the time of retirement.

The Government has accepted the recommendations of the Commission in regard to notional fixation of pay of pre-1.1.1986 retirees as also for consolidation of pension of pre-1.1.1986 as well as pre-1.1.1996 pensioners as on 1.1.1996. Through the Commission had recommended 20% Fitment Weightage in the case of serving employees, the Government decided to enhance it to 40%. The same benefit has also been extended to all pre-1.1.1996 pensioners. The Government has not accepted the recommendation of the Commission to the effect that the consolidated pension of all pre-1.1.1996 retirees including pre-1.1.1986 retirees should be stepped upto 50% of the minimum of the pay scale recommended by the Commission for the post held by the pensioner. It is considered that since the Government has enhanced Fitment Weightage from 20% recommended by the Vth Central Pay Commission to 40% this has provided sufficient relief to the pensioners.

केन्द्रीय जांच ब्यूरो में रिक्त पदों का भरा जाना

223. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो प्रतिवर्ष कितने नये मामलों को लेती है और उनमें से प्रतिवर्ष कितनों का निपटारा किया जाता है;

(ख) क्या ब्यूरो ने सरकार से जांचकर्ताओं के बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त अनुरोध के संबंध में क्या निर्णय लिया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० जनार्दनम): (क) केन्द्रीय जांच-ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान, उसके द्वारा प्रतिवर्ष दर्ज किए गए और निबटाए गए मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:—

वर्ष	दर्ज किए गए नए मामलों की संख्या	निबटाए गए मामलों की संख्या
1993	1282	1392
1994	1389	1375
1995	1438	1273
1996	1461	1283
1997	1304	1212

(ख) सरकार की केन्द्रीय जांच-ब्यूरो से, जांच-अधिकारियों के पद भरे जाने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त जांच-अधिकारियों के पद, संगत भर्ती-नियमों के प्रावधानों के अनुसार और जहां कहीं प्रयोज्य हो, संघ-लोक-सेवा-आयोग तथा कर्मचारी-चयन-आयोग इत्यादि के परामर्श से भरे जाते हैं।

(ग) रिक्त पद भरे जाने के बारे में केन्द्रीय जांच-ब्यूरो के सभी तरह के पूर्ण प्रस्तावों पर सरकार समुचित ध्यान देती है। तदनुसार, ऐसे कुछ मामलों से संबंधित सिफारिशें संघ-लोक-सेवा-आयोग को पहले से ही भेज दी गई हैं।